चेक लिस्ट क्र.–35

राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रमांक भू–प्र / 1317 दिनांक 25.05.2007)

चेक लिस्ट क्र.–35

राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रमांक भू–प्र/1317 दिनांक 25.05.2007)

————0————

बिलासपुर जिले में बिलासपुर वनमण्डल के अंतर्गत 765 के.व्ही. डबल सर्किट झारसुगुडा(सुन्दरगढ़) – रायपुर विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण पथ में आने वाले राजस्व वन भूमि खसरा क्र 91, ग्राम बोहारडीह, खसरा क्र 138/1, 138/3, 2839/1, 3/1, 3/1न, 3/1च एवं 3/1ब ग्राम लोहर्सी कुल रकबा 4.330 हे0 के प्रत्यावर्तन हेतु कलेक्टर बिलासपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

कृते ओडिशा जनरेशन फेज–II ट्रांसनिशन लिमिटेड

सुरेन्द्र कुमार शर्मा
उप प्रबंधक (प्रोजेक्टस)

परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र बिलासपुर

उप वनमंडलाधिकारी
बिलासपुर (छ.ग.)

वनमण्डलाधिकारी
बिलासपुर वनमण्डल

264

कार्यालय कलेक्टर, (भू–अभिलेख शाखा) बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

–:: ज्ञापन ::–

कमाक / 1829 / भू0अ0 / स0अ0भू0अ0–3 / 2016, बिलासपुर दिनांक 08 .09.2016

प्रति,

उप–प्रबंधक
ओड़िसा जनरेशन फेस– II
ट्रांसमिशन लिमिटेड़
जुनवानी भिलाई पिन–490020 छ0ग0।

विषयः– प्रस्तावित 765 के0व्ही0 डबल सर्किट झारसुगुड़ा (सुन्दरगढ़)–रायपुर ओडिशा जेनेरशन फेज–II ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले राजस्व वन भूमि (छोटे बड़े झाड़ के जंगल) का अनापत्ति प्रमाण–पत्र (OGPTL) को प्रदाय करने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र कमांक / OGPTL/Forest/2016-17/52 दिनांक 3-8-2016

——00——

संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। विषयांतर्गत Odisha Generation Phase II Transmission Ltd द्वारा प्रस्तावित 765 के0व्ही0 डबल सर्किट झारसुगुड़ा (सुन्दरगढ़)–रायपुर ओडिशा जेनेरशन फेज–II ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु जिला–बिलासपुर के राजस्व अनुविभाग मस्तूरी के 02 ग्राम का आंशिक भू–भाग प्रभावित हो रही है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क0	ग्राम	खसरा कमांक	कुल रकबा (हे0में0)	प्रभावित रकबा (हे0में0)	मद	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	बोहारडीह	91	11.332	0.242	बड़े झाड़ का जंगल	
2	लोहर्सी	3/1	20.207	0.017	बड़े झाड़ का जंगल	
3	लोहर्सी	3/1ब	1.311	0.914	बड़े झाड़ का जंगल	
4	लोहर्सी	3/1प	1.211	0.470	बड़े झाड़ का जंगल	
5	लोहर्सी	3/1न	1.285	0.838	बड़े झाड़ का जंगल	
6	लोहर्सी	138/3	4.047	1.184	बड़े झाड़ का जंगल	
7	लोहर्सी	138/1	7.244	0.495	बड़े झाड़ का जंगल	
8	लोहर्सी	2839/1	8.094	0.170	बड़े झाड़ का जंगल	
योग :–	**02 ग्राम**	**कुल खसरा नं0–08**	**54.731**	4.330	—	—

Odisha Generation Phase II Transmission Ltd.

265

उपरोक्त उल्लेखित ग्रामों पर झारसुगड़ा (सुन्दरगढ़) से रायपुर विद्युत पारेषण लाईन 765 के0व्ही0 डबल सर्किट लाईन ले जाने हेतु संचरण पथ के लिए भूमि का उपयोग करने के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र चाहा गया है। संचरण पथ के लिये उपयोग की जाने वाली राजस्व वन भूमि बड़े झाड़ के जंगल को गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किये जाने पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होता है।

अतः इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् अनुमति प्राप्त करने हेतु छ0ग0 शासन वन विभाग को आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का सम्यक पालन उपरान्त वन विभाग के सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरान्त आवेदित स्थल से विद्युत पारेषण लाईन निर्माण हेतु इस कार्यालय को कोई आपत्ति नही होगी।

08/09/16

कलेक्टर
बिलासपुर (छ0ग0)

पृ0क0/1830/भू0अ0/रा0अ0भू0अ0–3/2016, बिलासपुर दिनांक 08.09.2016

प्रतिलिपि :–

1. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मस्तूरी जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. उप–प्रबंधक ओड़िसा जनरेशन फेस– ट्रांसमिशन लिमिटेड जुनवानी भिलाई पिन–490020 छ0ग0 को सूचनार्थ।

कलेक्टर
बिलासपुर (छ0ग0)

Odisha Generation Phase II Transmission Ltd.